रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र
# Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-23052023-245993
SG-DL-E-23052023-245993

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | | |
|---|---|---|
| सं. 8] | दिल्ली, सोमवार, मई 22, 2023/ज्येष्ठ 1, 1945 | [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 63 |
| No. 8] | DELHI, MONDAY, MAY 22, 2023/JYAISHTHA 1, 1945 | [N. C. T. D. No. 63 |


## भाग III
## PART III

## राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
## GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

### नई दिल्ली नगरपालिका परिषद

### अधिसूचना

दिल्ली, 1 मई, 2023

**फा. सं. जी-28011/515/2021-बजट/पेंशन/नदिनप/डी-83/(ई).**—नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1994 (1994 का 44) की धारा 43, 44 और 387 के साथ पठित धारा 54 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, नई दिल्ली, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निम्नलिखित विनियम 2023 बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ** – (1) इन विनियमों को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (पेंशन निधि) विनियम, 2023 कहा जाएगा।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **परिभाषाएं** – (1) इन विनियमों में, जब तक कि अन्यथा संदर्भ से अपेक्षित न हो-

   (i) “अधिनियम” से नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1994 (1994 का 44)अभिप्रेत है;

   (ii) "बीमांकक” से नगरपालिका अधिकारियों और नगरपालिका के अन्य कर्मचारियों के पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति

लाभों के निर्धारण के लिए नियुक्त मूल्यांकनकर्ता अभिप्रेत है और "बीमांकिकीय अध्ययन" पद को तदनुसार माना जाएगा।

(iii) "अध्यक्ष" से पेंशन न्यास का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(iv) "निवेश सलाहकार" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो निवेश की सिफारिशें करता है या प्रतिभूतियों का विश्लेषण करता है;

(v) "पेंशन निधि" से विनियमन 3 के तहत गठित निधि अभिप्रेत है;

(vi) "पेंशनभोगी से नगरपालिका के सेवानिवृत्त अधिकारी या नगरपालिका के कर्मचारी जिसमें उसके पति या पत्नी और कानूनी उत्तराधिकारी अभिप्रेत है जो परिषद से पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, और इसमें परिषद से पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने के लिए सक्षम अदालत द्वारा घोषित व्यक्ति शामिल है;

(vii)"पेंशन न्यास" से विनियम 5 के तहत परिषद द्वारा गठित पब्लिक न्यास अभिप्रेत है;

(viii) "सेवानिवृत्ति लाभों" में पेंशन, पेंशन का संराशीकरण, परिवार-पेंशन, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, सेवा ग्रेच्युटी, निर्धारित चिकित्सा भत्ता और पेंशन या पारिवारिक पेंशन पर महंगाई भत्ता शामिल है, जो केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के तहत नगरपालिका के अधिकारियों और नगरपालिका के अन्य कर्मचारियों और मृत कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारियों को देय है;

(ix) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(x) "न्यासी" में पेंशन न्यास के अध्यक्ष और अन्य न्यासी शामिल हैं जैसा कि विनियम 5 के उप विनियम (3) में संदर्भित है; और

(xi) "न्यास विलेख" से विनियम 6 के तहत तैयार किया गया विलेख अभिप्रेत है।

(2) यहां प्रयुक्त शब्द और पद जो परिभाषित नहीं किए गए हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो क्रमशः अधिनियम में उनका दिया गया है।

3. **पेंशन निधि का गठन.-**(1) नगरपालिका के अधिकारियों और नगरपालिका के अन्य कर्मचारियों की पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की देयताओं को पूरा करने के लिए, परिषद द्वारा इन विनियमों के लागू होने की तारीख से 'नई दिल्ली नगरपालिका परिषद पेंशन निधि' के रूप में जानी जाने वाली एक निधि का गठन किया जाएगा जिसमें कम से कम दस करोड़ रुपये की राशि होगी।

(2) इन विनियमों के लागू होने की तारीख तक 'नई दिल्ली नगरपालिका निधि' शीर्ष के तहत पेंशन और ग्रेच्युटी निधि के लिए उपलब्ध राशि पेंशन निधि में जमा की जाएगी।

(3) पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की आगे की देनदारियों को पूरा करने के लिए, प्रत्येक वर्ष, परिषद बजटीय अनुदान के माध्यम से, बीमांकिकीय अध्ययन और पेंशन निधि में उपलब्ध राशि के आधार पर'नई दिल्ली नगरपालिका निधि' से उतनी अतिरिक्त राशि अंतरित कर सकती है जितनी न्यासियों द्वारा अनुशंसित की गई हो।

(4) पेंशन निधि में जमा की गई सारी राशि को भारतीय स्टेट बैंक की उसी शाखा में एक अलग बैंक खाते में रखा जाएगा जिसमें अधिनियम के अनुसार 'नई दिल्ली नगरपालिका निधि' का सामान्य खाता है।

4. **पेंशननिधि का उपयोग.–**पेंशन निधि में जमा की गई सभी राशि, उस पर अर्जित ब्याज और उक्त निधि से किए गए निवेश पर ब्याज, का उपयोग केवल नगरपालिका अधिकारियों और नगरपालिका केअन्य कर्मचारियों को देय पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए परिषद की देनदारियों को पूरा करने के लिए किया जाएगा, जिसमें पेंशन निधि के

प्रबंधन,प्रशासन और संचालन से संबंधित और अपेक्षित अन्य सभी व्यय शामिल हैं।

5. **पेंशन न्यास का गठन.-**(1)पेंशन निधि के प्रबंधन, प्रशासन और संचालन के प्रयोजनों के लिए परिषद संकल्प द्वारा नई 'दिल्ली नगरपालिका परिषद पेंशन न्यास' नामक एक पब्लिक न्यास का गठन करेगी जिसमें एक अध्यक्ष और छह अन्य न्यासी होंगे।

(2) पेंशन न्यास पंजीकृत होगा और नियामक तथा अन्य उपयुक्त प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करेगा, जैसा कि प्रवृत्त कानूनों के तहत अपेक्षित हो।

(3) परिषद संकल्प द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को पेंशन न्यास के अध्यक्ष और न्यासी के रूप में नामित करेगी, अर्थात् :–

(क) परिषद के प्रमुख – अध्यक्ष;

(ख) वित्तीय सलाहकार, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद – न्यासी;

(ग) निदेशक (लेखा) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद – न्यासी;

(घ) निदेशक (कल्याण), नई दिल्ली नगरपालिका परिषद – न्यासी;

(ङ) निदेशक (कार्मिक), नई दिल्ली नगरपालिका परिषद–न्यासी; और

(च) दोस्वतंत्र प्रभार वाले व्यक्ति जिन्हें वित्त क्षेत्र का अनुभव हो – न्यासी ।

(4) न्यास विलेख के अनुसार,पेंशन न्यास के अध्यक्ष के पास पेंशन न्यास का समग्र नियंत्रण होगा और अन्य न्यासी उन कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जो अध्यक्ष द्वारा उन्हें सौंपे जाएंगे।

(5) पेंशन निधि के प्रबंधन, प्रशासन और संचालन के प्रयोजनों के लिए, न्यासी उन शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उन कार्यों को करेंगे जो न्यास विलेख में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

6. **न्यास विलेख तैयार करना.-**पेंशन निधि के प्रबंधन, प्रशासन और संचालन के प्रयोजनों के लिए, पेंशन न्यास के न्यासी प्रवृत्त कानूनों के अनुसार न्यास विलेख तैयार करेंगे जिसमें न्यासियों की शक्तियों और दायित्वों, पेंशन निधि के खातों के रखरखाव और परिषद द्वारा न्यासियों को सौंपे जाने वाले अन्य उत्तरदायित्वों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

7. **पेंशन निधि की अधिशेष राशि का निवेश.-**न्यासी वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग कीसमय समय पर-यथोचित परिवर्तनों के साथ संशोधित दिनांक मार्च 02,की 2015 अधिसूचना संख्या 11/14/2013-पीआर के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पंजीकृत निवेश सलाहकार या पोर्टफोलियो प्रबंधक (सेबी), अधिमानतः वे जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या ऐसे किसी सरकारी संगठन (ईपीएफओ), जो न्यासियों द्वारा तय किया जाए द्वारा नियुक्त किए गए हैं, के माध्यम से अप्रयुक्त या अधिशेष पेंशन कोष का निवेश करेंगे।

8. **पेंशन निधि के लेखों का रख-रखाव.-**पेंशन निधि के लेखों का रख-रखाव पेंशन न्यास द्वारा अधिनियम, स्थानीय निकायों के लिए लेखा मानक (एएसएलबीएस), राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा नियमावली (एनएमएएम) और न्यास विलेख में निर्धारित अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।

9. **पेंशन निधि के लेखों की लेखापरीक्षा.–**पेंशन निधि के लेखों की लेखा परीक्षा परिषद के मुख्य लेखा परीक्षक द्वारा उसी प्रकार की जाएगी जिस प्रकार अधिनियम के उपबंधों के अनुसार परिषद के लेखों की लेखा परीक्षा की जाती है।

10. **शिकायत निवारण तंत्र.–**यदि किसी पेंशनभोगी या उसके कानूनी उत्तराधिकारी को पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में शिकायत है, तो वह इस संबंध में पेंशन न्यास को आवेदन कर सकता है, और पेंशन न्यास आवेदन प्राप्त होने की

तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर उस आवेदन में उल्लिखित शिकायतों के समाधान के लिए कार्रवाई करेगा और यदि अपेक्षित हो, तो इसके लिए परिषद से आवश्यक जानकारी भी मांग सकता है।

11. **पेंशन निधि और पेंशन न्यास का विघटन. –** (1)जिस उद्देश्य के लिए पेंशन निधि का गठन किया जाता है, उसे प्राप्त करने के बाद परिषद प्रस्ताव द्वारा पेंशन निधि को भंग कर सकती है।

(2) निम्नलिखित स्थिति में परिषद प्रस्ताव द्वारा पेंशन न्यास को भंग कर सकती है,-

(क) पेंशन न्यास द्वारा पेंशन निधि का त्रुटिपूर्ण प्रबंधन; अथवा

(ख) न्यास के द्वारा कार्य न किया जाना।

(3) उप) विनियम-1) के तहत पेंशन निधि के विघटन पर, पेंशन निधि में अप्रयुक्त शेष राशि, यदि कोई हो, को पेंशन निधि बैंक खाते से 'नई दिल्ली नगरपालिका निधि' के सामान्य खाते में अंतरित करके 'नई दिल्ली नगरपालिका निधि' में डाल दिया जाएगा।

12. देय पेंशन के प्रकार सहित पेंशन निधि के प्रबंधन, प्रशासन और संचालन पेंशन या पारिवारिक पेंशन के संशोधन, संवितरण प्रक्रियाओं, बैंककारी, पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता, पेंशनभोगियों द्वारा प्रमाणन से संबंधित मुद्दे केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के उपबंधों और समय-समय पर इस विषय पर जारी केंद्रीय सरकार के आदेशों के अनुसार शासित होंगे।

पुष्कल उपाध्याय, वित्तीय सलाहकार

**NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL**

**NOTIFICATION**

Delhi, the 1st May, 2023

**F. No.G-28011/515/2021-Budget/pension/NDMC/D-83/(E).—**In exercise of the powers conferred by section 54 read with sections 43, 44 and 387 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994), the New Delhi Municipal Council, New Delhi, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations 2023, namely:-

1. **Short title and commencement.**–(1) These regulations may be called the New Delhi Municipal Council (Pension Fund) Regulations, 2023.

(2) They shall come in to force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.–** (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,–

(i) "Act" means the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994);

(ii) "Actuary" means a valuator appointed for ascertaining the pension and other retirement benefits of municipal officers and other municipal employees and the expression "actuarial study" shall be construed, accordingly;

(iii) "Chairman" means the Chairman of the Pension Trust;

(iv) "investment Advisor" means a person who makes investment recommendations or conducts securities analysis;

(v) "Pension Fund" means the fund constituted under regulation 3;

(vi) "pensioner" means a retired municipal officeror municipal employee including his spouse and legal heirs entitled to receive pension and other retirement benefits from the Council, and includes the person declared by the competent court to receive pension or retirement benefits from the Council;

(vii) "Pension Trust" means a public trust created by the Council under regulation 5;

(viii) "retirement benefits" include pension, commutation of pension, family-pension, death-cum-retirement gratuity, service gratuity, fixed medical allowance and dearness relief on pension or family pension as payable to the municipal officers and other municipal employees and legal heirs of adeceased employee under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021;

(ix) "section" means a section of the Act;

(x) "trustees" includes the Chairman and other trustees of the Pension Trust as referred to in sub regulation (3) of regulation 5; and

(xi) "trustdeed" means the deed executed under regulation 6.

(2) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Act, shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Act.

3. **Constitution of Pension Fund.–** (1) For meeting out the liabilities of pension and other retirement benefits of municipal officers and other municipal employees, a fund to be known as 'the New Delhi Municipal Council Pension Fund' having a minimum corpus of ten crores rupees shall be constituted by the Council from the date of commencement of these regulations.

(2) The amount available against the pension and gratuity fund under the head the'New Delhi Municipal Fund' as on the date of commencement of these regulations shall be credited to the Pension Fund.

(3) For meeting out further liabilities of pension and other retirement benefits, each year, the Council may transfer by way of budgetary grant, such additional amount from the 'New Delhi Municipal Fund', as may be recommended by the Trustees, on the basis of an actuarial study and the sums available in the Pension Fund.

(4) All sums credited to the Pension Fund shall be kept in a separate bank account in the same branch of the State Bank of India in which the General Account of the 'New Delhi Municipal Fund' has been kept as per the Act.

4. **Application of Pension Fund.–**All sums credited to the Pension Fund, interest accrued thereon and the interest on investments made out of the said fund, shall be applied only for meeting out the liabilities of the Council on account of pension and other retirement benefits payable to the municipal officers and other municipal employees including all other expenditure incidental to and necessary for management, administration and operation of the Pension Fund.

5. **Creation of Pension Trust.–**(1) For the purposes of management, administration and operation of Pension Fund, the Council shall by resolution create a Public Trust namely the 'New Delhi Municipal Council Pension Trust' comprising of Chairman and six other trustees.

(2) The Pension Trust shall be registered and shall obtain recognition of regulator and other appropriate authority, as may be required under the applicable laws.

(3) The Council shall by resolution nominate to the Pension Trust the following persons as its Chairman and trustees, namely:-

(a) the Chairperson of the Council- Chairman;
(b) the Financial Advisor, New Delhi Municipal Council- Trustee;
(c) the Director (Accounts), New Delhi Municipal Council - Trustee;
(d) the Director (Welfare), New Delhi Municipal Council- Trustee;
(e) the Director (Personnel), New Delhi Municipal Council - Trustee; and
(f) two independent persons having experience in finance - Trustee.

(4) The Chairman of the Pension Trust shall have overall control of the Pension Trust and other trustees shall perform such functions and duties as may be assigned to them by the Chairperson in accordance with the trust deed.

(5) For the purposes of management, administration and operation of the Pension Fund, the trustees shall exercise such powers and perform such functions as may be specified in the trust deed.

6. **Execution of Trust-Deed.–**For the purposes of management, administration and operation of the Pension Fund, the trustees of the Pension Trust shall execute the trust deed in accordance with the applicable laws specifying therein the powers and obligations of the trustees, maintenance of accounts of the Pension Fund and other responsibilities as may be entrusted upon the trustees by the Council.

7. **Investment of surplus corpus of Pension Fund.–**The trustees shall invest the unutilised or surplus Pension Corpus by following the Ministry of Finance, Department of Financial Services notification number 11/14/2013-PR, dated the 2nd March, 2015 mutatis mutandis, as amended from time to time and through an investment advisor or portfolio manager registered with Securities and Exchange Board of India (SEBI) preferably those who are being employed by the Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) or any such Government Organisation as may be decided by the trustees.

8. **Maintenance of accounts of Pension Fund.–**The accounts of the Pension Fund shall be maintained by the Pension Trust in conformity with the Act, Accounting Standards for Local Bodies (ASLBs), National Municipal Accounts Manual (NMAM), and other relevant provisions as may be laid down in the Trust Deed.

9. **Audit of Pension Fund accounts.–**The accounts of the Pension Fund shall be audited by the Chief Auditor of the Council in the same manner as in the case of audit of accounts of the Council in accordance with the provisions of the Act.

10. **Grievance Redressal System.–**Where any pensioner or his legal heir is aggrieved with regard to pension or retirement benefits as payable to him, he may make an application to the Pension Trust in that regard, and the Pension Trust shall take actions for resolution of the grievancesas mentioned in such application within a period of thirty days from the date of receipt of the application and may also seek information from the Council as deemed necessary for this purpose.

11. **Dissolution of the Pension Fund and Pension Trust.–**(1) The Council may by a resolution dissolve the Pension Fund once the purpose for which the fund is created, is achieved.

(2) The Council may by a resolution dissolve the Pension Trust in the event of,–

(a) mis-management of the Pension Fund by the Pension Trust; or

(b) non-performance of the Trust.

(3) Upon dissolution of the Pension Fund under sub-regulation (1), the unutilised balance amount in the Pension Fund, if any, shall be transferred to the 'New Delhi Municipal Fund' by transferring such amount from the Pension Fund Bank Account to the General Account of the 'New Delhi Municipal Fund'.

12. The issues relating to the management, administration and operation of the Pension Fund including the kinds of pension admissible, revision of pension or family pension, disbursement processes, banking, dearness relief to pensioners, certification by the pensioners shall be governed in accordance with the provisions of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021and the orders of the Central Government issued on the subject from time to time.

PUSKAL UPADHYAY, Financial Advisor

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2023.05.23 11:08:40 +05'30'